**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं.: 3995**

**उत्तर देने की तारीख: 17.03.2026**

**सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं**

**3995. श्री मनोज कुमार:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का योजना-वार ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है तथा राज्य और केंद्र की निधि की हिस्सेदारी वर्ष-वार, जिला-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास मौजूदा योजनाओं के दिशा-निर्देशों विशेषकर पीएमएस एससी में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो संशोधन का ब्यौरा क्या है और योजना-वार दिशानिर्देश के प्रारूप की एक प्रति का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजनाओं के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ किए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से बिहार में योजनाओं को पूरी तरह से शब्दशः कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा योजनाओं के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के बीच विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री रामदास आठवले)**

**(क) से (ङ):** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का विवरण, साथ ही इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान देश भर में लाभार्थियों की कुल संख्या, आवंटित निधियां और उपयोग की गई निधि क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

इसके अलावा, ऐसे 38 मंत्रालय हैं जिनके द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) स्कीमों के तहत अनुसूचित जातियों का कल्याण और निगरानी की जाती है तथा ऐसे 41 मंत्रालय हैं जिनके द्वारा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण किया जाता है और इन योजनाओं की निगरानी अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत की जा रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान डीएपीएससी और डीएपीएसटी के तहत इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए आवंटन और व्यय का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

स्कीमों की समीक्षा, जिसमें मौजूदा दिशा-निर्देशों का संशोधन भी शामिल है, संबंधित हितधारकों के परामर्श से एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

बिहार राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से प्रस्ताव समय पर प्राप्त होने के आधार पर योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। योजनाओं के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त करने/एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) शेष मानदंड को पूरा करने सहित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्रस्तावों की जांच के बाद निधियां जारी की जाती हैं। प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, संवितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किया जाता है।

विभाग ने देश भर में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापक जागरूकता और निधियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने, सोशल मीडिया पर अभियान चलाने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। साथ ही, हितधारकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविरों, क्षेत्रीय बैठकों और राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से विभाग द्वारा योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

अनुलग्नक-I

सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं के संबंध में श्री मनोज कुमार द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3995, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या, आवंटित निधियां और उपयोग की गई निधि:

**वित्त वर्ष 2020-21 से 2021-22 (2 वर्ष)**

(रुपये करोड़ में)

| | | वित्त वर्ष 2020-21 | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कार्यक्रम/योजनाएं | आवंटित निधि | उपयोग की गई निधि | लाभार्थियों की संख्या | आवंटित निधि | उपयोग की गई निधि | लाभार्थियों की संख्या |
| 1 | अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 3815.8 | 4010.1 | 5016082 | 4196.5 | 1978.5 | 3025136 |
| 2 | अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति | 600 | 569.5 | 3122697 | 725 | 570.3 | 3238399 |
| 3 | अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी) | 125 | 133.1 | 3961 | वित्त वर्ष 2021-22 से श्रेयस एससी योजनाओं में विलय कर दिया गया | | |
| 4 | अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) | 30 | 32.92 | 71 | | | |
| 5 | अनुसूचित जातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा (टीसीएस) | 50 | 52.87 | 3118 | | | |
| 6 | अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग (एफसीएस) | 30 | 11.96 | 2112 | | | |
| 7 | अनुसूचित जातियों के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) | वित्त वर्ष 2021-22 से 4 योजनाओं (एनएफएससी, एनओएस, टीसीएस और एफसी) का विलय कर दिया गया है और जिनका नाम बदलकर श्रेयस-एससी कर दिया गया है। | | | 260 | 276.6 | 10109 |
| 8 | प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) | 300 | 216.5 | पीएम-अजय के आदर्श ग्राम घटक का फोकस अनुसूचित जाति बहुल गांवों में अवसंरचना और मूल सेवाओं के सुधार पर है, जिससे गांव के निवासियों को लाभ होता है | वित्त वर्ष 2021-22 से योजनाओं को पीएम-अजय योजना में विलयित कर दिया गया | | |
| 9 | बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) | 30 | 56.4 | 3250 | | | |
| 10 | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीएसपी को एससीए) | 300 | 387 | 197585 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | प्रधानमंत्री अनुसचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) | यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से 3 योजनाओं (एससीएसपी को एससीए, बीजेआरसीवाई और पीएमएजीवाई) के विलय के बाद अस्तित्व में आई | | | 1800.00 | 1820.31 | 1,92,224 |
| 12 | अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठन हेतु सहायता | 125 | 56.05 | 38250 | वित्त वर्ष 2021-22 से योजना का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम श्रेष्ठ कर दिया गया | | |
| 13 | अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) | इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 तक अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों हेतु सहायता के रूप में जाना जाता था। | | | 63.2 | 38.04 | 20,435 |
| 14 | प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही | 50 | 44.79 | 32097 | 79.48 | 68.23 | 42,002 |
| 15 | ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (यशस्वी) | | | | | | |
| (क) | ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 175 | 165.91 | 54.95 लाख | 250 | 218.45 | 58.62 लाख |
| (ख) | ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 1100 | 1159.25 | 45.45 लाख | 1300 | 1319.96 | 37.73 लाख |
| (ग) | अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण | 35 | 31.59 | 3000 | 30 | 18.76 | 2050 |
| (घ) | ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा** | 2022-23 से लागू | | | | | |
| (ङ) | ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा** | 2023-24 से लागू | | | | | |
| 16 | यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (ओबीसी और अन्य के लिए श्रेयस) | | | | | | |
| (क) | ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप | 45 | 33 | 1233 | 60 | 55.55 | 1338 |
| (ख) | अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए विदेशी अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र की योजना | 35 | 32.67 | 4342 | 30 | 26.7 | 6564 |

*** टॉप क्लास स्कूल और टॉप क्लास कॉलेज योजनाओं के संबंध में वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां शैक्षणिक वर्ष के अनुसार हैं।*

वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 (3 वर्ष)

(रुपये करोड़ में)

| | | वित्त वर्ष 2022-23 | | | वित्त वर्ष 2023-24 | | | वित्त वर्ष 2024-25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कार्यक्रम/योजनाएं | आवंटित निधि | उपयोग की गई निधि | लाभार्थियों की सं. | आवंटित निधि | उपयोग की गई निधि | लाभार्थियों की सं. | आवंटित निधि | उपयोग की गई निधि | लाभार्थियों की सं. |
| 1 | अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 5660 | 4392.5 | 4647135 | 5400 | 5476.2 | 4738578 | 5500 | 5581.5 | 4804208 |
| 2 | अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति | 500 | 208.6 | 1134268 | 430 | 446.6 | 2129540 | 450 | 461.6 | 2165983 |
| 3 | अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी) | वित्त वर्ष 2021-22 से योजनाओं का श्रेयस एससी योजनाओं में विलय कर दिया गया। | | | | | | | | |
| 4 | अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) | | | | | | | | | |
| 5 | अनुसूचित जातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा (टीसीएस) | | | | | | | | | |
| 6 | अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग (एफसीएस) | | | | | | | | | |
| 7 | अनुसूचित जातियों के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) | 344 | 324.74 | 8435 | 387.8 | 379.98 | 8472 | 428 | 404.6 | 10896 |
| 8 | प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) | वित्त वर्ष 2021-22 से योजनाओं का पीएम-अजय योजना में विलय कर दिया गया। | | | | | | | | |
| 9 | बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) | | | | | | | | | |
| 10 | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीएसपी को एससीए) | | | | | | | | | |
| 11 | प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) | 1062.39 | 164 | 47567 | 450.00 | 471.1 | 13764 | 800.00 | 736.2 | 5,254 |
| 12 | अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठन हेतु सहायता | वित्त वर्ष 2021-22 से योजना का पुनर्गठन किया गया और उसका नाम श्रेष्ठ कर दिया गया। | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) | 89 | 51.12 | 16479 | 90.65 | 81.57 | 15816 | 110 | 109.98 | 14,281 |
| 14 | प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही | 84 | 14.94 | 33021 | 120 | 58.34 | 80185 | 2024-25 से पीएम-दक्ष योजना का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ विलय कर दिया गया है। | | |
| 15 | ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी) | | | | | | | | | |
| (क) | ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 394.61 | 361.38 | 25,99,000 | 281 | 195.63 | 18,43,000 | 210 | 158.49 | 20,61,000 |
| (ख) | ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 1083 | 1007.99 | 18,05,000 | 1087 | 988.45 | 27,16,000 | 921 | 895.47 | 24,53,000 |
| (ग) | अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण | 20 | 18.8 | 2200 | 45 | 14.42 | 2246 | 30 | 31.84 | 3950 |
| (घ) | ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा** | 83.39 | 1.85 | 1275 | 100 | 6.7 | 3177 | 60 | 32.48 | 13769 |
| (ङ) | ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा** | 2023-24 से लागू किया गया | | | 90 | 124.06 | 5781 | 159.63 | 317.23 | 14861 |
| 16 | यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (ओबीसी और अन्य के लिए श्रेयस) | | | | | | | | | |
| (क) | ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप | 53 | 51.32 | 1570 | 90 | 89.7 | 2009 | 55 | 148.15 | 2,197 |
| (ख) | अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए विदेशी अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र की योजना | 27 | 23.98 | 4159 | 60 | 56.24 | 2789 | 25 | 9.49 | 837 |

*** टॉप क्लास स्कूल और टॉप क्लास कॉलेज योजनाओं के संबंध में वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां शैक्षणिक वर्ष के अनुसार हैं।*

सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं के संबंध में श्री मनोज कुमार द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3995, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या, आवंटित निधि और उपयोग की गई निधि:

**वित्त वर्ष 2020-21 से 2021-22 (2 वर्ष)**

**(रुपये करोड़ में)**

| | | वित्त वर्ष 2020-21 | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए कार्यक्रम/योजनाएं** | **आवंटित निधि** | **उपयोग की गई निधि** | **लाभार्थी** | **आवंटित निधि** | **उपयोग की गई निधि** | **लाभार्थी** |
| 1 | एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) | 1200.00 | 936.45 | 90520 | 1057.74 | 1322.77 | 105463 |
| 2 | अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | 60.00 | 59.50 | 975493 | 90.00 | 89.25 | 1005657 |
| 3 | अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति | 120.00 | 120.00 | 5074 | 120.00 | 120.00 | 5444 |
| 4 | विदेश में अध्ययन हेतु अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति | 4.76 | 4.76 | 30 | 4.95 | 4.95 | 46 |
| 5 | प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 250.00 | 248.90 | 1439930 | 400.00 | 394.14 | 1377713 |
| 6 | पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 1833.00 | 1830.14 | 2005696 | 2257.72 | 2257.72 | 2344407 |

**वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 (3 वर्ष)**

**(करोड़ रुपये में)**

| | | वित्त वर्ष 2022-23 | | | वित्त वर्ष 2023-24 | | | वित्त वर्ष 2024-25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए कार्यक्रम/योजनाएं** | **आवंटित निधि (आरई)** | **उपयोग की गई निधि (एई)** | **लाभार्थी** | **आवंटित निधि (आरई)** | **उपयोग की गई निधि (एई)** | **लाभार्थी** | **आवंटित निधि (आरई)** | **उपयोग की गई निधि (एई)** | **लाभार्थी** |
| 1. | एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईआरएमएस) | 2000 | 2014.94 | 113275 | 2471.81 | 2446.24 | 123841 | 4748.92 | 4713.21 | 138336 |
| 2. | अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | 110 | 109.25 | 1023055 | 150 | 120.83 | 1071120 | 160 | 175 | 1010429 |
| 3. | अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति | 140 | 145 | 5766 | 230 | 230 | 8404 | 240 | 240 | 9711 |
| 4. | विदेश में अध्ययन हेतु अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति | 4 | 4 | 44 | 7 | 7 | 65 | 6 | 6 | 58 |
| 5. | प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 357.3 | 357.3 | 1003157 | 411.63 | 308.6 | 929767 | 200 | 163.69 | 910043 |
| 6. | पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 1965 | 1965 | 2269112 | 2371.01 | 2668.83 | 2064437 | 2462.68 | 2598.34 | 1816293 |

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 (5 वर्ष)

(रुपये करोड़ में)

| | | वित्त वर्ष 2020-21 | | वित्त वर्ष 2021-22 | | वित्त वर्ष 2022-23 | | वित्त वर्ष 2023-24 | | वित्त वर्ष 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए कार्यक्रम/योजनाएं | आवंटित निधि | उपयोग की गई निधि | आवंटित निधि | उपयोग की गई निधि | आवंटित निधि | उपयोग की गई निधि | आवंटित निधि | उपयोग की गई निधि | आवंटित निधि | उपयोग की गई निधि |
| 1 | टीएसपी को एससीए (प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना-पीएमएएजीवाई) | 800 | 795.36 | 785 | 781.52 | 1354.38 | 1351.86 | 300 | 149.93 | 127.51 | 126.19 |
| 2 | अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान | 800 | 799.69 | 900 | 923.24 | 925 | 976.49 | 1172.1 | 1172.1 | 1170.57 | 1170.57 |
| 3 | विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का विकास | 140 | 140 | 160 | 160 | 124.79 | 137.17 | 0 | 0 | 74.55 | 73.08 |
| 4 | जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता | 60 | 60 | 60 | 60 | 58.5 | 12.4 | 50 | 43.53 | 90 | 90 |
| 5 | धरती आबा जनजातीय ग्राम | 02 अक्टूबर, 2024 को लॉन्च किया गया। | | | | | | | | 500.00 | 477.68 |

**अनुलग्नक-III**

सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं के संबंध में श्री मनोज कुमार द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3995, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

- पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएससी (पूर्ववर्ती एडब्ल्यूएससी/एससीएसपी) के तहत किए गए वर्ष-वार आवंटन और व्यय की तुलना में योजनाओं के तहत वास्तविक व्यय और व्यय की प्रगति

**(रुपये करोड़ में)**

| वर्ष | सभी मंत्रालयों/विभागों की डीएपीएससी (पूर्ववर्ती एडब्ल्यूएससी/एससीएसपी) निधि का आवंटन | व्यय | उपयोग का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 82,707.51 | 61,280.19 | 74.09 |
| 2021-22 | 1,39,956.42 | 1,18,441.17 | 84.63 |
| 2022-23 | 1,52,604.29 | 1,36,331.89 | 89.34 |
| 2023-24 | 1,46,861.08 | 1,32,167.84 | 90.00 |
| 2024-25 | 1,38,362.52 | 1,17,294.06 | 84.77 |

- पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएसटी/टीएसपी के तहत किए गए वर्ष-वार आवंटन और व्यय की तुलना में योजनाओं के तहत वास्तविक व्यय और व्यय की प्रगति

**(रुपये करोड़ में)**

| वर्ष | डीएपीएसटी निधि का आवंटन | व्यय | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 51780.82 | 48084.10 | 92.86 |
| 2021-22 | 85930.47 | 82530.58 | 96.04 |
| 2022-23 | 92781.15 | 90972.76 | 98.05 |
| 2023-24 | 107455.64 | 103452.77 | 96.27 |
| 2024-25 | 106046.11 | 103924.95 | 98.00 |

*****